



BAGHPAT POLICE



साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत

नवम्बर -2025

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर 2025 में 09 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल 7,82,570 रुपये वापस कराये गये-

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0पत्रसं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	खेकड़ा	33110250152379	65,000
2	खेकड़ा	33110250133698	35,000
3	साइबर थाना	33109250127920	50,000
4	साइबर थाना	33111250160817	4,73,366
5	सिंघावली अहीर	33110250151448	4,900
6	बिनौली	33110250145758	32,500
7	बड़ौत	23104250054909	18,804
8	साइबर सेल बागपत	23111250176971	15,000
9	साइबर सेल बागपत	33110250136620	88,000
		कुल	₹ 7,82,570



BAGHPAT POLICE




बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह नवम्बर- 2025 में कुल-23 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह नवम्बर 2025 में कुल-23 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	बागपत	637/24	137(2) बीएनएस
2	बागपत	556/25	87 बीएनएस
3	बागपत	659/25	87 बीएनएस
4	बागपत	661/25	137(2) बीएनएस
5	बागपत	696/25	137(2) बीएनएस
6	बागपत	698/25	137(2) बीएनएस
7	बागपत	700/25	87 बीएनएस
8	सि० अहीर	387/25	140(3) बीएनएस
9	सि० अहीर	388/25	87 बीएनएस
10	सि० अहीर	389/25	137(2) बीएनएस

11	बिनौली	275/25	87 बीएनएस
12	बिनौली	334/25	87 बीएनएस
13	खेकडा	391/25	137(2) बीएनएस
14	खेकडा	400/25	137(2) बीएनएस
15	बालैनी	153/25	137(2) बीएनएस
16	बडौत	654/25	87 बीएनएस
17	बडौत	702/25	137(2) बीएनएस
18	बडौत	752/25	87 बीएनएस
19	बडौत	764/25	137(2) बीएनएस
20	दोघट	265/25	87 बीएनएस
21	दोघट	302/25	87 बीएनएस
22	रमाला	79/25	87 बीएनएस
23	छपरौली	276/25	40(3) बीएनएस





BAGHPAT POLICE



थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के गलती से दूसरे व्यक्ति के खाते में भेजी गई सम्पूर्ण धनराशि- 65,000/- रुपये वापस कराये गये-

1-पीडित सैफ पुत्र रहीसुद्दीन निवासी कृष्णा नगर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं० 33110250152379 पर 65,000 रुपये गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाने के सम्बन्ध प्राप्त शिकायत दर्ज करायी । जिसके फलस्वरूप थाना खेकडा साइबर सेल टीम उ०नि० श्री नितिन कुमार व है०का० 442 मौहम्मद आफाक द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से गलती से भेजी गई सम्पूर्ण धनराशि- 65,000/- रुपये को वापस कराया गया ।



रुपये वापस मिलने पर पीडित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	खेकडा	33110250152379	65,000/-



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 01.12.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 637/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
बागपत द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम एवं
वांछित/इनामी अभियुक्तों
की गिरफ्तारी हेतु चलाये
जा रहे अभियान के
अन्तर्गत थाना बडौत
पुलिस द्वारा थाने के



मु0अ0सं0 637/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के
इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा
रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित उर्फ रिकका पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद
बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित उर्फ रिकका का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 402/2019 धारा 336/34 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 196/2019 धारा 120बी/394/411 भादवि थाना बडौत जनपद
बागपत ।

3-मु0अ0सं0 813/2020 धारा 147/148/149/302/307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 830/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 834/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 357/2025 धारा 109/3(5)/352 बी.एन.एस. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 373/2025 धारा 109(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 637/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2- है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

3- है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

4- का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 01.12.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 765/25 धारा 85/115(2)/76/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.11.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री शिवकुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.गौरव (पति), 2. दीपक(जेठ) पुत्रगण



रामपाल, 3.पिंकी (सास) पत्नी रामपाल, 4.अनिता पत्नी दीपक (जेठानी) निवासीगण ग्राम सरुरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा उसकी बहन को दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया व मारपीट की गयी तथा अतिरिक्त 05 लाख रुपये की मांग की गयी । उसके पति गौरव व उसके दोस्त कुलदीप पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत व एक दोस्त नाम पता अज्ञात के द्वारा ग्राम शबगा में शादी समारोह से वापस लौटते समय दहेज के 05 लाख रुपये न दिलाने पर मारपीट कर हत्या कर दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 765/25 धारा 85/115(2)/76/80 बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 765/25 धारा 85/115(2)/76/80 बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

गौरव पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सरूरपुर कलाँ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विविध महाजन थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 65 महिपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का० 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 01.12.2023

थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 322/25 धारा 305 बीएनएस व 323/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ केबिल तार व टुकड़े, एक प्लास व एक आरी का ब्लेड, दो स्टार्टर्स का सामान, 05 कट आउट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

1-दिनांक 29.11.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री जितेन्द्र पुत्र वीर सिंह निवासी जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके ट्यूबवेल में से तार चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 322/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



2-दिनांक 30.11.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री बेदपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके नलकूप में से स्टार्टर ऑपरेटर, केवल व कटआउट चोरी कर लिए गए हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 323/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 322/25 धारा 305 बीएनएस व 323/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ केबिल तार व टुकड़े, दो स्टार्टर्स का सामान, 05 कट आउट तथा एक प्लास व एक आरी का ब्लेड बरामद हुआ है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र सुन्दर निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- केबिल तार, एक प्लास व एक आरी का ब्लेड। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 322/25 धारा 305 बीएनएस)
- दो स्टार्टर्स का सामान, 05 कट आउट व केबिल के तार के टुकड़े। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 323/25 धारा 305 बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाई थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-है0का0 297 कृष्ण कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5-है0का0 134 विकास थाना रमाला जनपद बागपत।
- 6-का0 478 अजीत कुन्तल थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक- 01.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 18 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 18 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजीव उर्फ कल्लू पुत्र कालूराम निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 18 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0क0 706 दयाचन्द थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-एचजी 537 चन्द्रवीर थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक-01.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने सट्टे की ऑनलाइन खाई बाडी करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक मोबाइल व कुल 750 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सट्टे की ऑनलाइन खाई बाडी करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन व कुल 750 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र यासीन निवासी ग्राम मिलाना थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोबाइल फोन व कुल 750 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 413 सहन्सरपाल थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-01.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

नरेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के गलती से दूसरे व्यक्ति के खाते में भेजी गई सम्पूर्ण धनराशि- 35,000/- रुपये वापस कराये गये-

1-पीडित बोबी धामा पुत्र राकेश निवासी गांधी गंज मंडी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं० 33110250133698 पर 35,000 रुपये गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी । जिसके फलस्वरूप थाना खेकडा साइबर सेल प्रभारी उ०नि० श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से गलती से भेजे गये सम्पूर्ण धनराशि- 35,000/- रुपये वापस कराये गए ।



रुपये वापस मिलने पर पीडित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	खेकडा	33110250133698	35,000/-रुपये



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 01.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोनू पुत्र प्रेम सिंह निवासी सांकरौद थाना खकेडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 87 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक- 01.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 21 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 21 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनोद पुत्र रमेशचन्द निवासी पट्टी खोखरान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 21 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0क0 808 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत ।